24.10.24

अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता
ने प्रतिवादी सं. 2, 3 की तलबी आदेश
तक नहीं करवाई थी वादी अधिवक्ता को
दिनांक 04.09.24 को आदेश 5 नियम 5
सीपीसी के तहत कार्यवाही की विस्तृत
के सम्बन्ध आदेश तक तलबी नहीं
हुई अतः प्रकरण में आदेश 5 नियम 5
सीपीसी के तहत कार्यवाही की जाकर
प्रकरण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाना
की प्रार्थना प्रस्तुत है। प्रार्थना
दावरा पंजिका के क्रम में की जाकर
निर्णय की सूची में शामिल हो।

23/09

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.11.07 11:57:19 IST
Reason: SelfAttested